सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

श्रावण 27, शुक्रवार, *शाके* 1945-अगस्त 18, 2023

Sravana 27, Friday , Saka 1945- August 18, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, जुलाई 14, 2023

संख्या प. 2 (19)वन/2023 :-चुंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) हैं।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बंजर-भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29, उप धारा (1) के अन्र्तगत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है,

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी प्रकार से लेखबद्ध नही किये गये है,

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती हैं कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचाने की आशंका है,

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर, असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11 (1),12,13,14,17,18 तथा 19 में प्रावहित है,

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Provison) द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेसर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा,

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रसर अनुसरण मे यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) हैं और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संगृहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन

अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती हैं।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर-भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,
शासन सचिव।

<u>प्रथम अनुसूची</u>

क्र.सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण/क्षेत्रफल है0		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पाटन	बागीदौरा	बांसवाडा	उत्तर:-वनखण्ड रोहाल पनासी	पाटन	832 3772/ 832	4.09, 0.90
				पूर्व:-खसरा नम्बर 837			
				दक्षिण:-खसरा नम्बर 3773/832 व खसरा नम्बर 838			
				पश्चिम:-खसरा नम्बर 838			
					योग	2	4.99

जिग्नेश शर्मा,
उप वन संरक्षक,
बांसवाडा।

प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक, द्वारा प्रमाण पत्र

(जो लागू नही हैं उसे काट दें)

प्रारंम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण पत्र (जो लागू नहीं होता है उसे काट दे)

वनखण्ड-पाटन

रेंज -गढी

वन मण्डल- बांसवाड़ा

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण कमशःबंजड/काबिल काश्त पायती है जिला कलक्टर बांसवाडा के आदेश क्रमांक एफ4( )राज./2019/1009 दिनांक 16.10.2019 एवं आदेश कमांक एफ 4( ) राज./2019/410 दिनांक 17.06.2019 के तहत् फोरेस्ट लैण्ड बैंक हेतु आरक्षित भूमि में से आंवटन जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में बिना नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य कराया गया है/ कराना है। इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है। क्षेत्र को आरक्षित/ रक्षित वन घोषित करने के लिए जिला कलक्टर से सहमति प्राप्त कर ली गई है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
3. वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में कमशः- प्लान्टेशन एवं अन्य विकास कार्य वर्ष 2020-21 से कराये गये है। इनमें कोई खनन कार्य नहीं हुए है। भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।
4. भूमि पर वृक्षों का घनत्व कुछ क्षेत्रों में शून्य है तथा कुछ क्षेत्रों में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियों बबूल, जामुन, तेन्दू एवं चुरैल का लगभग 1 से 2 प्रतिशत है तथा कुछ क्षेत्रों में घनत्व नगण्य है।
5. सतीपवर्ती स्थित क्षेत्रों राजस्व बंजर (राजस्व बंजर/चरागाह/खातेदारी/वन)-भूमि है तथा चारों और की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम 5 में कर दिया गया है।
6. वनखण्डों के वाछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थित के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र की जी.टी. शीट पर विन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथाविधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब उल्लेखित वनक्षेत्र के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट प्रकाश होना नितान्त आवश्यक है, जिसके कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त भूमि वन संरक्षण 1980 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 927 ए योजना के कार्यों की एवज में जिला कलक्टर बांसवाडा के आदेश क्रमांक एफ 4 ( )राज./2019/1009 दिनांक 16.10.2019 एवं आदेश क्रमांक एफ 4 ( )राज./2019/410 दिनांक 17.06.2019 के तहत् विभाग को प्राप्त हुई है, जिसका मौके पर कब्जा ले लिया गया है एवं राजस्व अभिलेख में अमलदरामद हो चुका है।
9. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

जिग्नेश शर्मा,
उप वन संरक्षक,
बांसवाडा।

द्वितीय अनुसूची

वनखण्ड - पाटन ग्राम - पाटन

रेंज- गढी तहसील - बागीदौरा

वन मण्डल - बांसवाड़ा जिला - बांसवाडा

क्र.सं.	नाम प्रजाति (स्थानीय)	नाम प्रजाति (बोटेनिकल)
1	सागवान	Tectona grandis
2	तेंदूटिमरू	Diospyros melanoxylon
3	कसोद	Cassia siamea
4	आंवल छाल	Cassia auriculata
5	शीशम	Dalbergia sissoo
6	बांस	Bambusa arundinacea
7	चुरेल	Holoptelea integrifolia
8	आंवला	Emblica officianalis
9	नीम	Azadirachta indica
10	महुआ	Madhuca indica
11	खैर	Acacia catechu
12	अरीठा	Sapindus emarginatus
13	सिरस (सफेद)	Albizia procera
14	अमलतास, बरडावन	Cassia fistula
15	बेर	Ziziphus oenoplia
16	ईमली	Tamarindus indica
17	कड़ाया	Sterculia urens
18	खिरनी	Wrightia tinctoria
19	बहेड़ा	Terminalia bellerica
20	रोहण	Soymida febrifuga

जिग्नेश शर्मा,
उप वन संरक्षक,
बांसवाडा।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।